A को

दावा - 15/23

रेणु बैरवा बनाम नाथी देवी

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		पत्रावली आज दिनांक 3/7/23 को पेश वकील प्रार्थी- अप्रार्थी/वादी- प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी/[illegible]/कार्यवाही/[illegible] जवाब दावा [illegible] हेतु दिनांक 21/7/23 [illegible] सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	21/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं०-2 की ओर से अविवादित [illegible] दस्तावेजों की सूची के साथ जमाबंदी संवत 2074-2077 खाता सं० 1815, 1813, 1812 पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों का अलग खाता व हिस्सा कायम किया जाकर नामान्तरण खोला जा चुका है अतः वाद को आगे नहीं चलाया जावे। जमाबंदी का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रस्तुत विचाराधीन वाद बाबत [illegible] कायम पेश किया गया है। जब पक्षकारों का अलग-अलग हिस्सा व खाता कायम किया जाकर नामान्तरण खोला जा चुका है तो वाद को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible] नेपर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/7/23 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय